शिविर कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

पत्रांक3665/ओएसडी/डीएम–कानपुर/कोविड–19/2020 दिनांक : 30–04–2020

आदेश

जनपद के **नगर निगम/नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त थोक बाजार** में प्रतिदिन प्रातःकाल भीड़ की सूचना प्राप्त हो रही है तथा लोगों को सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने में पुलिस/प्रशासन को काफी कठिनाई हो रही है। यह स्थिति कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस) के संक्रमण के दृष्टिगत लागू किये गये लॉकडाउन की शर्तो के अनुकूल नहीं है।

संज्ञान में आया है कि प्रायः सुबह 6.00 बजे से 11.00 बजे तक जन सामान्य द्वारा किसी न किसी बहाने से फुटकर खरीद के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। यद्यपि उन्हें फुटकर बिक्री नहीं की जाती है परन्तु ऐसे लोगों के कारण बाजार में अत्यधिक भीड़ दृष्टिगोचर होती है।

उक्त के दृष्टिगत यह आदेशित किया जाता है कि जनपद के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त थोक बाजार यथा– कलेक्टर गंज, थोक दवा मार्केट, नयागंज, जनरलगंज, कलेक्टरगंज, नवीन गल्ला मण्डी नौबस्ता आदि में स्थित विक्रेता अपनी दुकानें प्रातः 6.00 बजे से 11.00 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद रखेंगें। इसके अतिरिक्त दुकानों के खुलने की आल्टरनेट व्यवस्था की जाये जिसमें दो बगल की दुकानें एक साथ न खोलीं जायेंगी अर्थात थोक मार्केट में दुकानों के स्वामियों से अपेक्षा है कि वे आपस में समन्वय स्थापित कर लें और एक साथ लगी हुई दो दुकानें न खोलकर एक दिन में एक ही दुकान खोलें, जिससे सोशल डिस्टेन्सिंग का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इस व्यवस्था के लिए व्यापार मण्डल के पदाधिकारी समस्त दुकानदारों से समन्वय स्थापित कर आल्टरनेट दुकान खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगें। थोक विक्रेताओं द्वारा दुकानें खोले जाने का समय समान्यतः सुबह 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक समयावधि निर्धारित किया जाता है और यह भी अपेक्षा की जाती है कि बाजार में भीड़ को कम से कम करने के लिए दूरभाष पर ही फुटकर विक्रेताओं से आर्डर लिये जायें और पैकिंग उपरान्त डिलीवरी/कलेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। सभी व्यापारी अपने सभी स्टाफ एवं पल्लेदारों यथा लेबर आदि को एक निर्धारित प्रारूप पर आई0डी0 निर्गत कर दें जिससे कि किसी भी दशा में बिना पास के कोई भी व्यक्ति मार्केट में न आ सके। सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था रखना सभी व्यापारियों के लिए अनिवार्य होगा।

उक्त आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा तथा यदि किसी भी थोक विक्रेता दुकानदार द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध आई0पी0सी0 की धारा 188 तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा–51 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि : निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तर प्रदेश शासन/नोडल अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल, कानपुर को सादर सूचनार्थ।
3. डीआईजी/एसएसपी, कानपुर नगर।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
5. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
6. समस्त अपर जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
7. नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम, मोतीझील, कानपुर नगर।
8. नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
9. उपायुक्त, जी0एस0टी0, कानपुर नगर।
10. उप सूचना निदेशक, कानपुर नगर।
11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,एनआईसी, कानपुर नगर।
12. खादय सुरक्षा अधिकारी/औषधि निरीक्षक, कानपुर नगर।,
13. समस्त अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, कानपुर नगर।

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

Scanned with CamScanner